

14 ³/₂₄

पत्रावली देना है। वादी व वादी वकील
नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी
वकील को आवाज दिलवायी गयी। आवाज
दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील
उपस्थित नहीं। पत्रावली जाहिर हो गई है कि
वादी व वादी वकील प्रकरण जारी चलाने
में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु.नं. 209/23 का
सिलेबल बलानुसार बिना आदेश वादी व वादी
वकील से खारिज किया जाता है। पत्रावली के अभाव में
संकर नम्बर से सुनवाई है।

उपखण्ड अधिका
द्विपंडित सिटी (कॉलेज)

